उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या 40497 ए-2/NOC/420/17 दिनॉक 27-6-17

सेवा में, **पंजीकृत**

मैसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0 (ओमेक्स आनन्दा)
प्लाट सं0 जी0एच0–11, पार्ट–1, सेक्टर–7
हाईटेक सिटी, देवरख, नैनी,
जनपद–इलाहाबाद।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से ग्रुप हाउसिंग परियोजना के स्थापनार्थ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व सहमति (कन्सेन्ट टू स्टेब्लिश)/अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हों कि प्रस्तावित होटल को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तो के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल	:– प्लाट नं0 जी0एच0–11, पार्ट–1, सेक्टर–7, हाईटेक सिटी, देवरख, नैनी, इलाहाबाद
(ख) परियोजना	:– ओमेक्स आनन्दा ग्रुप हाउसिंग, कुल क्षेत्रफल–43978.4 वर्ग मीटर, बिल्टअप एरिया –115561.05 वर्ग मीटर।
(ग) परियोजना के निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री	:– भवन निमाण सामग्री।
(घ) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा	:– घरेलू उत्प्रवाह 428 केएलडी निस्तारण हेतु 500 केएलडी क्षमता का एस0टी0पी0।
(ड.) वायु प्रदूषण स्रोत एवं प्रयुक्त ईधन	:– 600 केवीए के 03 एवं 500 केवीए का 01 कैनोपी युक्त डी0जी0 सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. प्रस्तावित परियोजना में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पटि्टका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिर्पोट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
3. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र (एस0टी0पी0) तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में समयबद्ध प्रस्तुत की जाये। एस0टी0पी0 का निर्माण परियोजना के संचालन से पूर्व कर लें।
4. प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग परियोजना "ओमेक्स आनंदा ग्रुप हाउसिंग" प्लॉट नं0 जी0एच0–11, पार्ट–1, सेक्टर–7 हाइटेक सिटी, देवरख, नैनी, इलाहाबाद में कुल प्लाट एरिया 43978.74 वर्गमीटर पर बिल्टअप एरिया 115561.05 वर्गमीटर का निर्माण का कार्य (प्रोमोटर्स मे0 पंचम रियलकॉन प्राइवेट लि0) में कुल प्लॉट एरिया 43978.74 वर्ग मीटर पर प्रिंट अप एरिया 11561.05 वर्ग मीटर का निर्माण जो सक्षम प्राधिकरण द्वारा चिन्हित गंगा नदी से 500 मीटर हाई फ्लड जोन के बाहर हेतु स्वीकृति मानचित्र के अनुसार किया जाये।
5. प्रस्तावानुसार जनित घरेलू उत्प्रवाह 428 के0एल0डी0 के शुद्धिकरण हेतु 500 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जाये। शुद्धिकृत उत्प्रवाह को फ्लशिंग, हरित पटि्टका की सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों में अधिकाधिक रिसाइकिल किया जाये।

क्रमशः......2

6. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2458 दिनांक 07.10.2016 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाये।
7. परियोजना निर्माण के दौरान डस्ट नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिन्कलर की व्यवस्था की जाये एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/कार्यालय द्वारा जारी गाइड लाइन मेमोरण्डम 2010 का पालन किया जाना अनिवार्य है।
8. परियोजना द्वारा सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी0जी0 सेट स्थापित किया जायेगा तथा उक्त हेतु पृथक विद्युत मीटर स्थापित किया जायेगा।
9. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट का निस्तारण एम0एस0डब्लू0 रूल्स-2016 के प्राविधानों के अनुसार करें।
10. नगरीय ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करके सेग्रीग्रेट किया जाये जिससे प्राप्त बायोडिग्रेडेबिल वेस्ट को वर्मी कम्पोस्ट अथवा आर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर के माध्यम से बायो कम्पोस्ट हेतु प्रस्तावित योजना के अनुसार परियोजना परिसर में किया जाये।
11. प्रस्तावित परियोजना में 600 के0वी0ए0 के 3 डी0जी0 सेट, 500 के0वी0ए0 का 1 डी0जी0 सेट हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की जाये।
12. परियोजना द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रस्ताव के अनुसार की जाये।
13. इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकृति के परियोजनों हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार हरित पट्टिका का विकास किया जाये।
14. परियोजना द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।
15. परियोजना का निर्माण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शा दिनांक 13/05/2015 के अनुसार ही किया जाये।
16. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रोमोटर्स स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
17. भूजल के दोहन हेतु केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर तीन माह में बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
18. राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पत्र सं0 273/पर्या0/एस0ई0ए0सी0/3674/2015 दिनांक 07.10.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
19. Unit will put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
20. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on site will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.
21. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or construction material does not get dispersed in to the air or atmosphere in any form whatsoever.
22. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
23. The vehicles carrying constriction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
24. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.
25. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.
26. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.
27. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.
28. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.
29. Wind breaking walls will be constructed around the con struction site.
30. Green belt will be developed around the building as per Rules.

31. All approach roads & in campus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तो तथा बैंक गारण्टी में उल्लिखित शर्तों का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड में जमा बैंक गारण्टी संख्या 4196ILG005117 दिनांक 08.06.17 रूपये 10,00,000/– पंजाब नेशनल बैंक, शाखा ए–9, कनाड पैलेस, नई दिल्ली, को जब्त करते हुए बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है तथा कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाये अथवा इसे निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के सम्बंध में इस कार्यालय में **एक माह में** प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए।

भवदीय,

(डा0 राजीव उपाध्याय)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन0ओ0सी0 तद्दिनॉक :

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, **इलाहाबाद** को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव